न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/07/2018 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 25.05.2018

उनवान

1. नारायणी पत्नी रामचन्द्र जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. भग्गा पिता परथा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. भैरूलाल पिता रामचन्द्र जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. उदयलाल पिता रामचन्द्र जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. चन्दा पिता रामचन्द्र जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
6. सोहनी पिता चुन्ना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
7. मांगीबाई पिता चुन्ना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
8. चुन्नीबाई बेवा चुन्ना जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. सुगना पत्नी प्रेमशंकर जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. भैरूलाल पिता कालु जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. कैलाश पिता भैरा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. किशोर पिता कालु जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन मृत्तक के बजाय–

   4/1– प्यारचन्द पिता किशोर जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

   4/2– राधाकिशन पिता किशोर जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

   4/3– खेमीबाई पिता किशोर जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. अशोक कुमार पिता मूलचन्द जाति महाजन आयु वयस्क निवासी चित्तौड़गढ़ झूपडीयां कीरखेडा कृष्णा मेहता डॉक्टर के पास तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. लोकेश पिता मूलचन्द जाति महाजन आयु वयस्क निवासी चित्तौड़गढ़ झूपडीयां कीरखेडा कृष्णा मेहता डॉक्टर के पास तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
7. कंकूबाई पत्नी भैरा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
8. कमलाबाई पुत्री भैरा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
9. किशनलाल पुत्र भैरा कालु जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
10. बंशीलाल पुत्र भैरा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. बाबुलाल पुत्र भैरा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
12. संतराबाई पुत्री भैरा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
13. सीमाबाई पुत्री भैरा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
14. रोडीबाई पुत्री हीरा जाति कीर आयु वयस्क निवासी जूनाकीर खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान —प्रार्थीगण
एकतरफा —अप्रार्थीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 18.06.2024

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा जूना कीर खेडा पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे स्वामित्व की आराजी नं0 371 रकबा 0.15 हैक्ट0, आ0सं0 376 रकबा 0.11 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.26 हैक्ट0 तथा आ0सं0 362 रकबा 0.03 हैक्ट0 आ0चा0 स्थित है उक्त आराजीयात की रेवेन्यु रेकार्ड की जमाबन्दी की नकले एवं उनका नक्शा ट्रेस सिबुत में प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

यह कि प्रार्थीगण का निवास गांव जूना कीर खेडा में है और प्रार्थीगण की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात जूनाकीरखेडा गांव की सरहद में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 371 व 376 एवं 362 आ0चा0 पर आने जाने का कदिमानी रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 360 की पश्चिमी दिशा की पाली एवं आ0सं0 359 की पूर्वी पाली पर से होकर आते जाते है। दोनो आराजी की सीमा एक ही मेर की होकर सटमा मिली हुई है। प्रार्थीगण अपने गांव से भरी खाली बैलगाडी, ट्रैक्टर, ट्रोली, मवेशी लेकर अप्रार्थीगण की आराजी सं0 360 की पश्चिमी दिशा की पाली एवं आ0सं0 359 की पूर्वी पाली पर से रास्ते का उपयोग उपभोग करते है। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित रास्ता कई वर्षो से यानि विगत 100 वर्षो से अधिक समय से अपने बाप दादाओं के समय से उक्त वर्णित रास्ता चला आ रहा है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण बिना किसी रोक टोक के खुले रूप से अपनी आराजी में मवेशी, बेलगाडी, ट्रेक्टर, ट्रोली खाली भरी लाते ले जाते आ रहे है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। केवल मात्र इस रास्ते के डोट डोट के निशान नहीं होने से अप्रार्थीगण अपनी आराजी में पूर्वी पश्चिम मेर पर प्रार्थीगण को नहीं आने देना चाहते है और प्रार्थीगण को रास्ते के उपयोग उपभोग से वंचित करना चाहते है। इसी कारण अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी के चारो तरफ खम्भे खडे कर काटेदार तार लगा दिया है जिससे प्रार्थीगण के उक्त वर्णित रास्ते में रूकावट पैदा कर रास्ते को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण के अपनी आराजी पर आने जाने में परेशानी पैदा हो गई है प्रार्थीगणों की आराजी पर कुआ भी स्थित है और काश्त[illegible]सम है और अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगणों को अपनी आराजी मे [illegible] उपभोग से बाधित करते है। इस कारण रेवेन्यु रेकार्ड के नक्शा [illegible] आराजी में आने जाने के लिये उक्त वर्णित रास्ते का इन्द्राज पुख्ता निशानात किस्म [illegible]ा दर्ज कराया जाना आवश्यक हो गया है तथा अप्रार्थीगण उक्त वर्णित रास्ते को जो प्रार्थीगणों की आराजी पर आने जाने का है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

उसे खुला रखकर उसमें कोई रूकावट बाधा उत्पन्न नहीं करे रास्ते को बन्द नही करे प्रार्थीगणों को अपनी आराजी में आने जाने देवे।

यह कि प्रार्थीगणों का अपनी आराजी पर आने जाने के लिये उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण की आराजी पर रेकार्डेड रास्ता के निशानात नहीं होने से नियमानुसार उक्त कार्यवाही के तहत प्रार्थीगण लागत अदा करने को तैयार है और अपना एकमात्र उक्त वर्णित रास्ता रेकार्डेड कराना चाहते है इसके लिये कानुनन न्यायालय आपको विशाल अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रार्थीगणों द्वारा अपनी आराजीयात में इस वर्ष की वर्षा ऋतु की फसल बोने के समय और पूरी निगरानी करने सिंचाई करने और फसल को पकने पर अवेरने के समय तक उक्त वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग बेरोकटोक किया है। किन्तु दिनांक 20.04.2018 को खम्भे खडे कर तारबन्दी कर रास्ते को बन्द कर दिया है वर्तमान में मौसम काश्त का है खेतो की हकाई जुताई कर आगामी फसल की बुवाई कर काश्त करना है तथा अपने मवेशियो को प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में चराने के लिये लाना लेजाना जरूरी है किन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता दिनांक 20.04.2018 को उक्त वर्णनानुसार अवरूद्ध कर देने से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा होकर निरन्तर पैदा हो रहा है।

अन्त में प्रार्थना की कि–प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगणो की उक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की आ0सं0 360 की पश्चिमी दिशा की पाली एवं आ0सं0 359 की पूर्वी पाली पर जाने आने के लिये भरी खाली भरी बैलगाडी ट्रैक्टर, ट्रोली व मवेशियों को लाने ले जाने के लिये रास्ता दिलाया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड के नक्शा ट्रेस में किस्म रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे व अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगणों के उक्त वर्णित रास्ते को चालु रखे उसे बन्द नही करे और रास्ते में कोई रूकावट व अवरोध पैदा नही करे। अन्य मुफिद दाद प्रार्थीगण के हक में हो वह दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 03.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5, 6 के विरूद्ध तथा दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 4/1, 4/2, 7 से 14 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। व आज दिनांक 18.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 4/3 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 प्राप्त होकर दिनांक 29.11.2022 को शा0फा0 की गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा [illegible] नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन [illegible] रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी मौजा जूना [illegible] आराजीयात पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   नही।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सहमति नही बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये एवं प्रस्तावित अनुसार

   आ0नं0 359 की पूर्वी मेड पर होते हुए आ0नं0 359 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पहुॅच आ0न0 360 के दक्षिणी पश्चिमी से होते हुए प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आ0नं0 361 व 372 में पहुंच आ0सं0 371 व 376 में पहुॅच सकते है।

   आ0नं0 359 में से 222 वर्गमीटर (74 मी0 लम्बाई × 3 मी0 चौडाई)

   आ0नं0 360 में से 93 वर्गमीटर (31 मी0 लम्बाई × 3 मी0 चौडाई)

   कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर(0.0315 हैक्ट0) है।

   कुल राशि डी0एल0सी0 दर 811850 रूपये प्रति हैक्टयर से 315 वर्गमीटर भूमि की राशि 25573 रूपये का दुगुना 51146 रूपये बनते है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा जूनाकीरखेडा पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी नं0 371 रकबा 0.15 हैक्ट0, आ0सं0 376 रकबा 0.11 हैक्ट0 तथा आ0सं0 362 रकबा 0.03 हैक्ट0 आ0चा0 स्थित है, पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 359 व 360 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा जूनाकीरखेडा की आ0 सं0 371, 376 व 362 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी समूह इस प्रयोजन के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

i. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा जूनाकीरखेडा पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 371, 376 व 362 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा जूनाकीरखेडा की आ.न. 359 व 360 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 359 में से 74 × 3 = 222 वर्गमीटर, आ0नं0 360 में से 31 × 3 = 93 वर्गमीटर, कुल क्षेत्रफल 315 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 26.08.2022 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 315 वर्गमीटर की डीएलसी दर 8,11,850 × 0.0315 = 25573 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 51146/– रूपये अक्षरे इक्यावन हजार एक सौ छियालिस रूपये राशि जो कि अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:52:40 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official